अध्याय 5 – गांव का प्रशासन

पुलिस – कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार का अंग कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है।

पटवारी – यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है इसे अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि इसके अधिकार में कुछ गांव आते हैं

खसरा रजिस्टर का विवरण

जरीब – यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है

पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है।

तहसीलदार – पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं , यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले।

हिंदू अधिनियम धारा 2005.

कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था तथा उस ज़मीन को बेटो मैं बांट दी जाती थी हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया है, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटो, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है।

https://www.evidyarthi.in